



CHHATTISGARH STATE POWER TRADING COMPANY LTD.

Regd. Office: Vidyut Seva Bhawan, Dangania, Raipur (C.G.) 492013

CIN: U40100CT2008SGC020994

O/o MD, CSPTdCL, Raipur

No. MD/Trading/Veh/2017-18/ 75

dtd. - 7 FEB 2017

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders in prescribed form are invited for deployment of 1 No. New Toyota Innova Car Model GX(TH), on annual hiring basis, from the experienced travel agencies on the terms & conditions detailed in the tender documents. The tender documents can be obtained from the office of the undersigned on any working day between 11.00 hrs. to 17.00 hrs up to 25.02.2017. Duly filled tender documents can be submitted up to 13.00 hrs. on 27.02.2017. The tender will be opened on the same day at 15.00 hrs. The tender documents can be purchased by depositing Rs. 500/- (Five Hundred) only in the form of cash/ crossed DD/ Bankers Cheque drawn in favour of "Chhattisgarh State Power Trading Co. Ltd. Raipur." The cost of the tender documents is non refundable. Postal charges of Rs. 100/- shall be applicable in addition to the cost of tender documents for the request of tender documents by post.

The tender document can also be downloaded from official website of the company i.e. www.cspc.co.in. In case the tender documents is downloaded from the website, the cost of tender form Rs. 500/- (Five Hundred) only should be submitted by the firm in a separate envelop super scribing "Cost of Tender" only in the form of DD/Bankers Cheque drawn in favour of "Chhattisgarh State Power Trading Co. Ltd. Raipur". If cost of tender documents is not submitted along with the tender, the tender offer will not be entertained in this case.

The Company reserves the right to accept or reject any or all offers fully or partly without assigning any reason in the interest of the Company.


CE(Tech. Cell)
CSPTdCL, Raipur
7/2/2017

"SAVE ELECTRICTY FOR SELF & NATION"

o/c


7/2/17



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित

निविदा क्र. एम.डी./ट्रेडिंग/वाहन/2017-18/

दिनांक


खुलने की दिनांक- 27.02.2017, दोपहर - 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500/-

एक वर्ष की अवधि के लिये 1 नग टोयोटा इनोवा मॉडल GX(TH),
वाहन किराये पर लगाने हेतु निविदा प्रपत्र

मेसर्स

नोट:- सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।


कार्यपालन अभियंता (तक. प्रको.)
छ0रा0वि0ट्रे0कं0मर्या0, रायपुर

"स्वयं एवं राष्ट्र हेतु बिजली की बचत कीजिए।"

परिशिष्ट-एक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग नया टोयोटा इनोवा कार मॉडल GX(TH), की एक वर्ष के लिये आवश्यकता है। इच्छुक ट्रेडिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र दिनांक 27.02.2017 के दोपहर 13.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विशेष नियम एवं शर्तें परिशिष्ट-दो में उल्लेखित हैं।

(अ) निविदाकर्ता हेतु अर्हताएँ :-

क्र.	निविदा की अर्हताएँ	आवश्यक दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता को कंपनी/ पार्टनरशिप फर्म/ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी/ प्राप्रायटरी फर्म होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।	<p>i. कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के लिए— कंपनी/प्रोप्रायटरी फर्म/कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के रूप में पंजीकरण का दस्तावेज अथवा कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/कोऑपरेटिव्ह सोसायटी का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (बिजनेस अकाउंट से संबंधित) प्रोप्रायटरी फर्म के लिए— प्रोप्रायटरी फर्म का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (बिजनेस अकाउंट से संबंधित)</p> <p>ii. नगर निगम/नगर पालिक निगम/नगर पालिका द्वारा "छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958" के तहत जारी दुकान एवं स्थापना का पंजीयन।</p> <p>iii. PAN कार्ड।</p>
2.	निविदाकर्ता के पास किसी शासकीय विभाग/शासकीय अंडरटेकिंग में मासिक किराया आधार पर कम से कम 1 वर्ष हेतु वाहन प्रदाय करने का आदेश प्राप्त हुआ होना चाहिए।	वाहन सेवा अनुबंध संबंधी आदेश

(ब) सामान्य शर्तें :-

- निविदा दस्तावेज दिनांक 25.02.2017 संध्या 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे जो कि दिनांक 27.02.2017 को 13.00 बजे तक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निविदा दिनांक 27.02.2017 को दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- वाहन का उपयोग प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या0 के कार्यालयीन कार्य हेतु रायपुर शहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा। वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि से एक वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। वाहन चालन की मासिक दर 2500 कि.मी. के लिए एवं उससे कम व अधिक चलाने की दर अलग-अलग दर्शायी जावे।
- कंपनी के हित में किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो। उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा।
- वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 2500 कि.मी. तक तथा 2500 कि.मी. से अधिक एवं 2500 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित परिशिष्ट-तीन में ही भरें।
- यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा, निविदा के अन्तर्गत नवीन वाहन खरीदकर कंपनी में किराए पर लगाना है, तब वह कृपया **परिशिष्ट-तीन** में नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें। वाहन लगाने के पूर्व इस कार्यालय को कंपनी के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से वाहन खरीदने का साक्ष्य प्रेषित करें। यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में उपलब्ध वाहन को निविदा के अन्तर्गत किराए पर लगाना है, तब वाहन का रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा में) एवं इन्श्योरेंस की फोटोकापी अपने निविदा के साथ संलग्न करें।

Registered Office : Second Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur- 492013(Chhattisgarh)

Phone-2574160, Fax- 0771-2242955, website : www.cspc.co.in, e-mail-ce.techcell@gmail.com


6. अतिरिक्त वाहन चालक हेतु दर परिशिष्ट-तीन में पृथक से दर्शाई जानी चाहिए।
7. निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD) के रूप में ₹10,000/- (दस हजार) मात्र का मांग-पत्र अथवा पे-आर्डर जो कि "छ.रा.वि. ट्रेडिंग कंपनी मर्या. रायपुर" के पक्ष में देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि (EMD) के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदाकर्ता को निविदा निम्न प्रकार से जमा करनी होगी :-
- (अ) **प्रथम लिफाफा**:- इस लिफाफे में अमानत राशि जो कि मांग पत्र अथवा पे-आर्डर के रूप में होनी चाहिए, रखकर लिफाफे को सील किया जाना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "अमानत राशि" लिखा जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।
- (ब) **द्वितीय लिफाफा**:- इस लिफाफे में इस कार्यालय द्वारा जारी मूल निविदा प्रपत्र रखे जावेंगे। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसी लिफाफे में निविदा के साथ माँगे गए समस्त दस्तावेज भी रखे जावेंगे। (परिशिष्ट-3 को छोड़कर) जिसके अभाव में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। इस लिफाफे के ऊपर "निविदा प्रपत्र एवं शर्तें" लिखकर लिफाफा सील करना होगा। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।
- (स) **तृतीय लिफाफा**:- इस लिफाफे के अंदर परिशिष्ट-3 को पूर्ण रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर करने के पश्चात् रखकर सील किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग की दशा में कटिंग/ओवर राइटिंग के बाद निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। इस लिफाफे के ऊपर "प्राइस बिड" लिखा जाना चाहिए एवं लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।
- उपरोक्त तीन लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करना होगा। बड़े लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम तथा पता भी अंकित होना चाहिए।
- यदि निविदा प्रपत्र विद्युत कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 500/- (पाँच सौ पचास) मात्र की डीडी/बैंकर्स चेक एक प्रथम लिफाफे में जमा करनी होगी जिस पर स्पष्ट रूप से "निविदा प्रपत्र का मूल्य" अंकित होना चाहिए। निविदा प्रपत्र का मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- कटिंग/ओवर राइटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में निविदा को अमान्य किया जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक पृथक चौथे लिफाफे में रखकर सील करने के पश्चात् लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। उपरोक्त प्रकार से निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार किया जावेगा।
9. निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता फर्म को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा।
10. निविदा अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने योग्य फर्म को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा वाहन लगाने से पूर्व वार्षिक देय राशि का या आदेशित राशि की 10 प्रतिशत राशि डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के पास जमा करना होगा जिसकी, अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी की जावेगी। आदेश की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर उक्त सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकेगा।
11. अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति को इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रस्तुत निविदा पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण पॉवर कंपनी के द्वारा भेजे गये पत्र एवं सूचना के न मिलने पर पॉवर कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
13. वाहन किराये पर लेने संबंधी विशेष नियम एवं शर्तें परिशिष्ट-दो में संलग्न हैं।
14. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ौतरी होने की स्थिति में आदेशित दर का पुनरीक्षण किया जावेगा।

Registered Office : Second Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur- 492013(Chhattisgarh)

Phone-2574160, Fax- 0771-2242955, website : www.cspc.co.in, e-mail-ce.techcell@gmail.com

15. पॉवर कंपनी को यह अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकती है एवं पॉवर कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।
16. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
17. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित होने पर प्रतिदिन प्रति वाहन चालक ₹300/- की कटौती बिल में से की जावेगी व पॉवर कंपनी वाहन को किसी अन्य वैध ड्राइविंग लायसेंस धारी सक्षम वाहन चालक से वाहन चलवाने के लिए स्वतंत्र होगी।
18. निविदाकर्ता फर्म के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें।
19. निविदा अन्तर्गत वाहन सेवा हेतु फर्म को जारी कार्य आदेश की किसी भी शर्त का उलंघन पाये जाने पर अथवा फर्म द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध न कराने पर ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 30 दिवस का नोटिस जारी कर कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।
20. निविदाकर्ता द्वारा "प्राइस बिड" में दी जाने वाली दरों में, यदि सेवाकर लागू हो तो सेवाकर की गणना पृथक से दर्शावे। निविदाकर्ता को लगने वाले सेवाकर का शासन को भुगतान करने के पश्चात प्राप्त रसीद इस कार्यालय में जमा करने पर ही, सेवाकर की प्रतिपूर्ति की जावेगी। सेवाकर संबंधी परिशिष्ट-चार को पूर्ण रूप से भरकर कृपया दस्तावेजों के लिफाफे के साथ जमा करना होगा।
21. वाहन के किराए हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार 2 (दो) प्रतिशत की दर से की जायेगी। वित्तीय वर्ष के पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
22. पेन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।

भवदीय,


कार्यपालन अभियंता (तक. प्रको.)
छ0रा0वि0ट्रे0कं0मर्या0, रायपुर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

**किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु
विशेष नियम एवं शर्तें**

- (1) वाहन नया होना चाहिए।
- (2) वाहन का पंजीकरण व्यक्तिगत नाम पर नहीं होना चाहिए, अपितु पंजीकृत कंपनी/ फर्म/को-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत वाहन को निविदा अन्तर्गत किराया पर उपलब्ध कराने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (3) वाहन की माइलो मीटर रीडिंग अर्थात् वाहन का कुल चालन पाँच हजार किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (4) वाहन का शासकीय कर एवं बीमा पालिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पालिसी में पैसेन्जर का इन्श्योरेंस (कांप्रीहेन्सिव इन्श्योरेंस) होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। नया वाहन होने के स्थिति में उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति वाहन लगाये जाने के समय जमा कराना आवश्यक है।
- (5) वाहन की दरें चालक, पेट्रोल/डीजल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए।
- (6) वाहन किराये पर लेने के पश्चात्, वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।
- (7) वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् ही अनुबंधित किया जावेगा।
- (8) किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- (9) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- (10) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।
- (11) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार वाहन का चालन होगा।
- (12) कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
- (13) चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जा सकता है एवं कण्डिका (10) के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- (14) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
- (15) वाहन किराये के बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।
- (16) वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात् कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- (17) वाहन किराये पर देने हेतु किए जाने वाले अनुबंध के लिए गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर का मूल्य फर्म को वहन करना होगा।
- (18) टोल टेक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान प्रथमतः वाहन मालिक द्वारा देय होगा, जिसे वास्तविक मूल्य पर संबंधित माह के मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (19) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (20) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेंस की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

- (21) वाहन चालकों को वाहन के नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वहन करना होगा ।
- (22) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिन ही रखरखाव हेतु दिया जावेगा। रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा ।
- (23) वाहन चालकों को ड्यूटी पर सफेद गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है। वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इस हेतु पॉवर कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (24) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (25) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर "ON C.S.P.Trd.C.Ltd. DUTY" अंकित करवाना होगा एवं अनुबंधित अवधि की समाप्ति पर उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।



कार्यपालन अभियंता (तक. प्रको.)
छ0रा0वि0ट्रे0क0मर्या0, रायपुर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : एम.डी./ट्रेडिंग/वाहन/2017-18/

रायपुर, दिनांक

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	माडल	पंजीयन क्रमांक	2500 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रुपये	2500 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रुपये प्रति किलोमीटर	2500 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रुपये प्रति कि. मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एक नग नया टोयोटा इनोवा कार मॉडल GX(TH)						
2	अतिरिक्त वाहन चालक हेतु मासिक दर						

Please give following information also.

Sl. No.	
1.	Bank Account Number
2.	Name of Account Holder/Account Name
3.	Type of Account:- 01- Current Account 02- Saving Account
4.	Banks MICR code
5.	Name of the Bank
6.	Address of Bank
7.	City of Bank
8.	Bank Branch
9.	Bank IFSC code
10.	PAN No. (copy to be enclosed)
11.	Mobile No./Phone No.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

कार्यालय -

निवास

फोन कार्यालय -

निवास -

मोबाईल -

वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु सेवाकर संबंधी घोषणा पत्र

Tender No. MD/Trading/Veh/2017-18/

Raipur: Date

सेवाप्रदाता को सूचित किया जाता है कि सेवाकर अधिनियम की अधिसूचना क्र० 30/2012-Service Tax नई दिल्ली दिनांक 20.06.2012 एवं दिनांक 01.07.2012 से प्रभावी नियमों के अंतर्गत निविदाकर्ता को abated value अथवा non-abated value पर सेवाकर देने की घोषणा करना होगा।

कंपनियों को छोड़, अन्य सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्रदान की गई सेवा पर निम्नानुसार सेवाकर का भुगतान सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जावेगा :-

क्र०	सेवा का विवरण	सेवा प्रदाता द्वारा देय सेवाकर का प्रतिशत	सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा देय सेवाकर का प्रतिशत
1.	In respect of services provided or agreed to be provided by way of renting of a moter vehicle designed to carry passengers to any person who is not engaged in the similar of business on a) abated value (40% of bill amount) b) non abated value	Nil 60%	100% 40%

उपरोक्त तालिका के अनुसार किराया पर मोटर देने वाला सेवाप्रदाता यदि सेवाकर की परिधि में आता है तो वह अपने देयक में देय सेवाकर को 40% तक abatement (कम करने का/छूट का) नहीं लेने का विकल्प चुन सकता है। सेवाप्रदाता को सेवाकर में 40% abatement अथवा किसी भी प्रकार का abatement नहीं लेने का घोषणा पत्र देना होगा।

- (1) यदि सेवाप्रदाता सेवाकर की परिधि में नहीं आता है तो इस स्थिति में सेवाप्रदाता अपने देयक में सेवाकर नहीं जोड़ेगा और उसे सेवाकर का कोई भुगतान भी नहीं किया जावेगा। इस स्थिति में सेवाप्राप्तकर्ता अर्थात् CSPTrdCL द्वारा अपने हिस्से के सेवाकर का भुगतान चालान द्वारा किया - जावेगा

अ. क्या सेवाप्रदाता सेवाकर की परिधि में आता है?	हाँ / नहीं
---	------------

यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो निम्न प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है।

ब. सेवाप्रदाता का सेवाकर पंजीयन क्रं.	
---------------------------------------	--

- (2) यदि सेवाप्रदाता सेवाकर का 40% abatement का विकल्प चुनता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता 40% abatement चुनने का घोषणा पत्र देगा और अपने देयक में सेवाकर नहीं जोड़ेगा और न ही सेवाप्रदाता को सेवाकर का कोई भुगतान किया जावेगा। यदि 40% abatement का विकल्प चुनने के बाद भी सेवाप्रदाता अपने देयक में सेवाकर जोड़ता है तो भी सेवाप्रदाता को सेवाकर का भुगतान नहीं किया जावेगा। 40% abatement का विकल्प चुनने की दशा में देयक के 40% मूल्य पर लागू दर से सेवाकर का भुगतान CSPTrdCL द्वारा किया जावेगा।
- (3) यदि सेवाप्रदाता सेवाकर का 40% abatement का विकल्प नहीं चुनता है तो सेवाप्रदाता अपने देयक में सिर्फ अपने हिस्से का सेवाकर अर्थात् कुल सेवाकर का 60% ही जोड़ेगा जिसकी प्रतिपूर्ति शासन को किए गये वास्तविक भुगतान की रसीद इस कार्यालय में जमा करने के पश्चात, की जावेगी। शेष सेवाकर अर्थात् कुल सेवाकर का 40% भुगतान CSPTrdCL द्वारा चालान के माध्यम से शासन को किया जावेगा। यदि सेवाप्रदाता अपने देयक में कुल सेवाकर का 60% से ज्यादा सेवाकर जोड़ता है तो ऐसे देयक को सेवाप्रदाता को वापस कर दिया जायेगा और केवल 60% सेवाकर वाला देयक ही स्वीकार किया जावेगा। यदि सेवाप्रदाता अपने देयक में कोई सेवाकर नहीं जोड़ता है तो उन्हे किसी भी प्रकार का सेवाकर का भुगतान नहीं किया जावेगा जबकि CSPTrdCL द्वारा अपने हिस्से का सेवाकर अर्थात् 40% का भुगतान चालान के माध्यम से किया जावेगा। वर्तमान में सेवाकर की दर 15% है। तथा यह दर सेवा प्राप्त करते समय सेवाप्रदाता {Contractor} एवं सेवाप्राप्तकर्ता {CSPTrdCL} द्वारा प्रभावशील दर से देय होगी।

द. सेवाप्रदाता कृपया घोषणा करें कि क्या सेवाप्रदाता अपने देयक पर देय सेवाकर को 40% तक abatement की छूट लेना चाहता है?	हाँ / नहीं
---	------------

(सेवाप्रदाता के हस्ताक्षर एवं सील)

1. नाम—
2. पता—एवं मोबाइल सहित
अ— कार्यालय
ब— निवास
3. फोन नं.—
अ— कार्यालय
ब— निवास
4. मोबाइल नं.—

नोट:— यह प्रपत्र सेवाप्रदाता, सेवाकर पंजीयन क्र0 एवं पैन कार्ड क्र. की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ विकल्प चुनते हुए हस्ताक्षर के उपरान्त जमा करें।